संख्या-81 /2022/695/001-23-10-22-48(सामान्य)/2022टी0सी0

प्रेषक,

अभय कुमार ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 22 अगस्त,2022**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत आगरा क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के कुल 06 चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (सेतु विंग) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-797/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/ए0जी0आर/2022-23 दिनांक 29.07.2022 **के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष** 2022-2023 **में राज्य योजना** (**सामान्य**) **के अनुदान सं**0-57/83 **के अंतर्गत आगरा क्षेत्र के विभिन्न जनपदों के कुल** 06 **चालू सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम**-04 **में अंकित कार्यों के सापेक्ष तालिका के कॉलम**-13 **में अंकित लागत कुल धनराशि रू**0 361.74 **लाख** (**रूपये तीन करोड़ एकसठ लाख चौहत्तर हजार मात्र**) **की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/ शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-**

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आगरा	नि.ख.-1 मथुरा	जनपद मथुरा में छाता शेरगढ नौहझील बाजना गौमत मार्ग के किमी0- 27 में आर0सी0सी0 सेतु के पुनः निर्माण, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	328.19	42.94	285.25	2.52	0.00	282.73	**78.79**	**21.21**	**100.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	आगरा	नि.ख.-2 आगरा	जनपद आगरा में ग्राम नगला चतुरा एवं ग्राम सिकन्दरपुर (दयालबाग) के मध्य यमुना नदी पर पान्टून पुल का निर्माण कार्य।	67.98	43.78	24.20	18.53	0.00	5.67	**4.47**	**1.20**	**5.67**
3	आगरा	नि.ख.-2 आगरा	जनपद आगरा में विधानसभा क्षेत्र एत्मादपुर के अन्तर्गत जसुआ से नहर कोठी होते हुए खेडी वाली माता मन्दिर के मध्य स्थित नहर पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	108.39	59.26	49.13	7.70	0.00	41.43	**32.64**	**8.79**	**41.43**
4	आगरा	नि.ख.-2 आगरा	जनपद आगरा में ग्राम गिजौली एवं मऊ(आनन्दी) भैरों घाट के मध्य यमुना नदी पर पान्टून पुल के निर्माण कार्य।	73.12	39.06	34.06	23.88	0.00	10.18	**8.02**	**2.16**	**10.18**
5	आगरा	प्रा.ख. आगरा	जनपद आगरा में ग्राम बटेश्वर एवं ग्राम कल्याणपुर भरतार के मध्य यमुना नदी पर पाण्टून निर्माण कार्य।	454.74	50.00	404.74	2.92	0.00	401.82	**157.58**	**42.42**	**200.00**
6	आगरा	प्रा.ख. मैनपुरी	जनपद मैनपुरी में छाछा से अलीपुर खेड़ा होते हुए सिंधिया चौराहा मार्ग से आजाद नगर मार्ग पर 2x5 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	73.55	59.84	13.71	9.07	0.00	4.64	**3.51**	**0.95**	**4.46**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			योग -	1105.97	294.88	811.09	64.62	0.00	746.47	285.01	76.73	361.74

अवमुक्त धनराशि रू0 361.74 लाख (रूपये तीन करोड़ एकसठ लाख चौहत्तर हजार मात्र)

(1) **अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।**

(2) **उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।**

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय** (1) **रुपये** 2,85,01,000 (**रुपये दो करोड़ पच्चासी लाख एक हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 057 **लेखाशीर्षक** 5054041010421 **कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य** (**चालू योजना**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य** (2) **रुपये** 76,73,000 (**रुपये छियत्तर लाख तिहत्तर हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-यक मे अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 **कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण** (**चालू कार्य**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त** (**आय-व्ययक**) **अनुभाग**-1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या**-13/2022/**बी**-1-454/**दस**-2022-231/2022, **दिनांक**-07-**जून**, 2022 **मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-81 /2022/695/001-23-10-22-48(सामान्य)/2022टी0सी0, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) **महालेखाकार** (**लेखा एवं हकदारी**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(2) **महालेखाकार** (**लेखा-परीक्षा**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(3) **संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।**
(4) **संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।**
(5) **मुख्य अभियंता** (**सेतु**), **लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
(6) **वित्त** (**व्यय-नियंत्रण**) **अनुभाग**-8।
(7) **राज्य योजना आयोग अनुभाग**-1/2 ।
(8) **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in